

Aro granite industries ltd.

Regd. Office: 1001, 10th Floor, DLF Tower A, Jasola, New Delhi - 110 025. Phone: 91-11-41686169, Fax: 91-11-26941984, E-mail: arodelhi@arotile.com

Date: 04.11.2016

Bombay Stock Exchange Limited Department of Corporate Services Floor 25, P.J. Towers Dalal Street Mumbai 400001 (SCRIP CODE: 513729) National Stock Exchange of India Limited Listing Department 5th Floor, Exchange Plaza Bandra (E) Mumbai 400051 (SCRIP CODE: AROGRANITE/EQ)

Sub: Notice to the members under section 201 of the Companies Act 2013

Dear Sir.

We are sending herewith the copy of notice published on 03.11.2016 in the news paper "The Pioneer" and "Veer Arjun" under the provisions of section 201 of the Companies Act 2013 for your reference and record.

Thanking You

Yours faithfully For Aro granite industries ltd.

Company Secretary

Encl.: As above



PM for a roadmap to cut oil import

NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi on Wednesday chaired a highlevel meeting to discuss a roadmap to reduce dependency on import of oil and gas. During the meeting, the Petroleum Ministry presented strategies for achieving the objective by increasing production of crude oil and gas, promoting biofeuls and renewables, energy efficiency and conservation.

Aro granite industries Itd.

CIN : L74899D1.1988PLC031510

Regd. Office : 1001, 10th Floor, DLF Tower A, Jasola, New Dethi - 110025
Ph. : 011-41688169, Fax : 011-26941984, Emell : arodeth@erotile.com, Website : www

NOTICE UNDER SECTION 201(2) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013

Notice is hereby given pursuant to Section 201(2)(b) of the Companies Act, 2013 to the members of the Company, that the Company, in terms of the resolution passed by the Board of Directors at its meeting held on 20.10.2016 intends to make an application to the Central Government for its its meeting held on 20.10.2016 intends to make an application to the Cembert Seventheland of the approval under section 197, 260, 201 of the Companies Act 2013 read with Schedufe V of the Companies Act 2013 read with Schedufe V of the Companies (Appointment, and Remuneration of Companies Act 2013 together with the Companies (Appointment, and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014 and all other applicable provisions of the Companies Act 2013 for waiver of recovery of excess remuneration paid during the Financial Year 2012-13, 2013-14 to Mr. Sunil Kumar Arora (DIN No. 00150668) Managing Director of the Company

By order of the Board For **Aro granite industries itd.**

Place : New Delhi Date: 02.11.2016 Sabyasanchi Panlgrah Company Secretary

वीर अर्जुन, नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2016

एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड जेजाईल १४७४९०० १९८८० १५८४००० पर्वे. कर्वाल्यः १००१ १०७ तस् श्रीपुरुष् द्वर ए जेलाल गई दिल्ले १७००० १६८६ १६९ केंब्र २०११-२६७४ १९४४ ३ - मेर्च ३ वर्जनीली@बरणील.com, वेबसाइट अस्स्

ानी अधिनियम, 2013 की धारा 201(2)(ख) के तहत

एतदहाय कम्पनी अधिनियम 2013 की प्राय 201(2/ख) के अनुसरण में कम्पनी के मदस्यों को सुस्ता दो जाती है कि कम्पनी के निरंगक गढ़त हारा दिनाक 20-10-2019 को जायाना इसकी बैठक में पारित प्रताव के निवधनों में, कम्पनी के प्रवध निरंगक श्री सुनीत कुमर अरोज़ (डीआईएन नवर 2015-688) को पिताय वर्ष 2012-13, 2013-14 के दौरान पुगराता किए गए अदिरित्त मारिप्रमिक्त की बसूदी के अधिलाग के संबंध में कप्पनी अधिनेयम, 2013 की धारा 197, 200, 2013 के साथ अपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूरी एत तथा कपनी (प्रवचकीय कार्मिक की सुनीत और पारिश्रमिक) नियमावली. 2014 और कप्पनी अमित्रियग 2013 के अन्य सभी लागू प्रावधानों के तहत मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार के समक्ष एक आयेदन प्रस्तुत करने का आशय रखती हैं।

वास्ते एग्रो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान**ः त**ई दिल्ली तिथि : 02.11.2018 सम्बद्धांची पाणिप्रही



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सङ्क परिवहन एवं राजगार्ग मंत्रालय)

निविदा आमंत्रण सूचना

(प्रतिस्पर्धात्मक निविदा केंवल ई.टेण्डरिंग के माध्यम से)

भारा रा.प्रा. /परियोजना राजमार्गी पूर्व यातायात के मुक्त प्रवाह प्रणाली में 24x7x365 आधार पर वीडियो आधारित यातायात सर्वेक्षण समर्थित स्वचालित यातायात काउंटर और वर्गीकरण प्रणाली के उपयोग हारा/यातायात आकड़ी . के संग्रह हेतु इच्छुक / समक्ष एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित करता है।

विस्तृत आरएफपी दस्तावेज मा रा रा प्रां, की वेंब्रसाइट www.hital.org या https://nhal.eproc.in से डाउनलोड कियां / देखा जा सकता है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 02.12.2016 (14:30 वर्ज तक)

संशोधन्/शुद्धिपत्रं यदि कोई होगा तो भाराराप्रा की वेबसाइट www.nhallorg अथवा https://nhalleproc.in पर ही प्रकाशित क्रिया

पत्राचार हेतु पता : महाप्रबंधक (इलेक्ट्रॉनिक्स) भारा रा.प्रा जी-5 व 6, सेक्टर-10, द्वारका, गई दिल्ली-110075

फोन: 011-25074100/4200 एक्स : 1406

ई-मेलः deepaksaxena@nhal.org

सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण

दिग्विजय की बयानवाजी हल्ट और मूर्खतापूर्ण : भाजपा

कारागार से मुस्लिम कैदियों के हमेशा भागने वाले बयान के लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि . मध्यप्रदेशः के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता ही है क्योंकि वह हमेशा हल्की और मूर्खतपूर्ण' बयानबाजी करते हैं।

्भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा क्षेद्रीय मंत्री विजय सापुला / ने आज बातचीत में कहा, 'कांग्रेस नेता दिग्वजय सिंह के बयान को गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता नहीं है। वह हमेशा हल्की और मुखेतापूर्ण बयानबाजी करते है औ सर्खियों, में बने रहते हैं। 'सांपला ने कहा ं केंद्री इसलिए केंद्र में है क्योंकि उन्होंने अपराध किया है और अमानवीय कृत्य करते हैं। वह हिंदू और मुस्लिम अथना सिख और इसाई नहीं होता है। अपराधी केवल अपराधी होता है और उन्हें धार्मिक रंग में रंगने की आवश्यकता नहीं है। 'केंद्रीय मंत्री ने कहा अपराधियों और आतंकवादियों के पक्ष में बयानबाजी किएने बात क्यार देश के नेता, उन लोगों

जालधर, (भाषा)। देश के से प्रभावित होते है और मुझे लग कि कांग्रेस नेता भी इन कैदिय प्रभावित है। यहीं कारण है कि वह साप्रदायिक रंग देने में लगें है। 'गौरतलब है कि मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में सिमी के आतंकवादियों के मुठभेड़ में मारे पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस दिग्विजय सिंह ने कहा था कि तोडकर हमेशा मुस्लिम कैदी ही भागते हैं कभी कोई हिंदू कैदी क्यों भागतो ।

> सापला ने कहा, ''दरअ कांग्रेस पार्टी दिग्वजय को एक हरि के रूप में इस्तेमाल कर रही है। क ऐसे मसलों पर सिंह के कथे पर व रख कर चलाती है। इसका फ कांग्रेस को होता हो अथवा नहीं ले विग्विजय का भविष्य जरूर खरा रहा है जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। ''उन्होंने कहा, इसलिए कहा है कि उनकी बयान को गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्य नहीं है क्योंकि वह हमेशा इस तरह बयानबाजी कर मीडिया की सुर्खि बने रहते है और उनके बयानों पर चर्चा तक नहीं होती।

For Aro Granite Industries Ltd.

Company Secretary